



**न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर**  
 प्रक. / 2015 निगरानी (तिंग) / ८८८८/१५

1. सम्पत्तिया

2. रामदयाल

3. गोपाल

4. राजू

5. हरिओम

6. मुन्नी बाई

7. सावो बाई

8. गंगा बाई

पुत्र-पुत्रीयां

भगवानलाल बाथम

निवासी संन्तर नं.-05 माता का पुरा  
वाड कं.-2 तह. सबलगढ़ जिला मुरैना  
म.प्र.

— आवेदकगण

विरुद्ध

1 श्रीगणेश रावत पुत्र मुंशीलाल रावत  
निवासी ग्राम मढ़ेवा तहसील सबलगढ़  
जिला मुरैना म.प्र.

2 लखनलाल पुत्र गोरेलाल निवासी  
ग्राम-सुजर्मा तहसील कैलारस जिला  
मुरैना म.प्र.

— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता  
1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय सबलगढ़ जिला  
मुरैना के प्रक. 07/अ-27/2014-15 में पारित  
आदेश दिनांक 14.08.2015 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,  
 आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

निगरानी के तथ्य :-

- (3) 1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि  
 कस्वा सबलगढ़ के भूमि सर्वे कं.-893 रकवा 1 वीघा 01 विस्वा भूमि को  
 अनावेदकगण द्वारा विक्रय पत्र द्वारा कर्य किया जाना बताया है। एवं सर्वे कं.

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2688-एक/15

जिला - मुरैना

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर, से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ एवं अनावेदक क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९, को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	